MAINS MATRIX- Integrate Your Knowledge, Ace the Exam

विषय सूची

1.अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन ने पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ को जन्म दिया हो सकता है

2.भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को अपनी प्रणालीगत खामियों को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए

3.बदलती जनसंख्या गतिशीलता सरकारों के लिए नीतिगत पुनः अभिविन्यास की मांग करती है

4.भारत में एफडीआई (FDI) की कहानी में एक जटिल मोड़

5.निकोबार में एक पारिस्थितिक तबाही की रचना

6.एक पतली केसरिया रेखा पर चलना

1. अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन ने पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ को जन्म दिया हो सकता है

पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है, जिससे जीवन, फसलों और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान हुआ है। हालाँकि भारी मानसून बारिश तात्कालिक कारण है, लेकिन इस आपदा की गंभीरता मानवीय अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के संयोजन के कारण हुई है।

मुख्य कारक:

- **मानवीय हस्तक्षेप:** अवरुद्ध जल निकासी प्रणालियाँ, प्राकृतिक जलमार्गों को कम आँकना, नदी तटों पर अनियमित निर्माण (जैसे सड़कें और पुल), और अवैध रेत खनन ने प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा डाली है और बाढ़ सुरक्षा को कमजोर किया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण असंगत और तीव्र वर्षा पैटर्न उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ गर्म अरब सागर अधिक नमी लाता है और सामान्य से अधिक भारी मानसून का कारण बनता है, जिसे "नया सामान्य" माना जा रहा है।
- **उपेक्षा का pattern:** क्रमिक सरकारें अनियंत्रित विकास और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने में विफल रही हैं, जो बाढ़ के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं।

प्रभाव:

बाढ़ के कारण अनुमानित 48 मौतें हुई हैं, 4,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं, 2,000 गाँवों पर असर पड़ा है, और 1.2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुँचा है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को फसल कटाई से ठीक पहले गंभीर झटका लगा है।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

2. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को अपनी प्रणालीगत खामियों को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए

1. मूल समस्या

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में व्याप्त प्रणालीगत खामियों को दूर करने में **प्रतिक्रियाशील (reactive)** बना हुआ है, न कि **सक्रिय (proactive)**। इससे एक गंभीर **विश्वास की कमी** पैदा हुई है।

2. समस्या को उजागर करने वाली प्रमुख घटनाएँ

- **बिहार का विशेष गहन संशोधन (SIR):**
    - कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कार्रवाई जनसांख्यिकीय पैटर्न और सांख्यिकीय अपेक्षाओं के विपरीत थी।
    - ईसीआई ने हटाए गए नामों और उसके कारणों को सत्यापन योग्य प्रारूप में तब तक जारी नहीं किया, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया।
- **कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट:**
    - अधिकारियों ने हज़ारों फर्जी फॉर्म-7 आवेदन पाए, जिन्हें वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए दाखिल किया गया था।
    - इसकी खोज स्थानीय राजनीतिक नेताओं की सजगता से हुई, न कि ईसीआई की अपनी पहल से।
    - एक स्वतंत्र जाँच ठप पड़ गई क्योंकि ईसीआई ने महत्वपूर्ण तकनीकी रिकॉर्ड तक पहुँच देने से इनकार कर दिया।

3. पहचानी गई प्रणालीगत खामियाँ

- **पारदर्शिता और सत्यापन की कमी:** ईसीआई के दावों और कार्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
- **कमजोर प्रक्रिया:** मतदाता हटाने के लिए फॉर्म-7 आवेदन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और धोखाधड़ी के लिए अतिसंवेदनशील है।
- **प्रतिक्रियाशील रवैया:** ईसीआई अपने systems को सुरक्षित करने के बजाय समस्याओं के उजागर होने या न्यायिक आदेशों का इंतजार करता है।

4. परिणाम

- **विश्वास का क्षरण:** राजनीतिक दलों और ईसीआई के बीच विश्वास की कमी बढ़ रही है।
- **चुनावी प्रभाव:** मतदाता सूचियों में छोटे-छोटे धोखाधड़ी वाले बदलाव भी कड़े संघर्ष वाली सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता:** ईसीआई का अधिकार कमजोर होता है जब बुनियादी पारदर्शिता के लिए बार-बार अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

5. सिफारिशें और निष्कर्ष

- ईसीआई को चिंताओं को दूर करने और अपनी प्रणालीगत खामियों को सुधारने की सक्रिय जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- आलंद सीट में धोखाधड़ी की जाँच में गंभीरता से सहायता करनी चाहिए, न कि बाधा डालनी चाहिए।
- फॉर्म-7 के दुरुपयोग को रोकने और मतदाता हटाने की प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
- आयोग को न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भरता से बचने के लिए पारदर्शी और सत्यापन योग्य प्रक्रियाएँ लागू करनी चाहिए।

मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में उपयोग कैसे करें

1. जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध
यह विषय का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

- **सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय:**
    - भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) का प्रमुख उदाहरण है। यह लेख इसके कामकाज, चुनौतियों और सुधारों का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रदान करता है।
    - बिहार और कर्नाटक की घटनाओं का उपयोग ऐसे निकायों के सैद्धांतिक स्वायत्तता और उनके व्यावहारिक प्रदर्शन के बीच के अंतर पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।
    - यह ईसीआई जैसे शक्तिशाली संस्थानों के लिए जवाबदेही तंत्र (या उसकी कमी) का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**
    - यह लेख सीधे तौर पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) के तहत अनिवार्य मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है।
    - धोखाधड़ी के लिए फॉर्म-7 (मतदाता सूची में नाम जोड़ने/हटाने के लिए आपत्ति) की संवेदनशीलता चुनावी प्रक्रिया में एक विशिष्ट, तकनीकी खामी है, जिसे चुनावी सुधारों के उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है।
- **विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ:**
    - ईसीआई के "प्रतिक्रियाशील रुख" के कारण अक्सर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बहस छिड़ जाती है।

MENTOR IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- इसका उपयोग एक अधिक पारदर्शी और सहयोगात्मक नियुक्ति प्रणाली (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और subsequent parliamentary law के बाद अब लागू है) की वकालत करने के लिए किया जा सकता है, जो संस्थान को पक्षपात की धारणाओं से बचा सकती है और सक्रिय व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती है।

- **विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान:**
  - ईसीआई से बुनियादी पारदर्शिता का आदेश देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप (सर्वोच्च न्यायालय) की आवश्यकता शक्तियों के पृथक्करण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
  - यह एक सवाल उठाता है: क्या न्यायपालिका इसलिए अतिक्रमण कर रही है क्योंकि कार्यपालिका अंग (ईसीआई) अपने कर्तव्य में विफल हो रहा है, या यह अपनी आवश्यक check-and-balance भूमिका निभा रहा है?

2. जीएस पेपर IV: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति

यह लेख नैतिक दुविधाओं और शासन के प्रश्नों से भरपूर है।

- **शासन में नैतिकता:**
  - मूल मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के एक स्तंभ के भीतर **सत्यनिष्ठा (probity)** और **नैतिक शासन** की कमी है।
  - **दुविधा:** ईसीआई की परिचालन दक्षता की आवश्यकता और पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मौलिक लोकतांत्रिक आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना।
  - **टकराव में मूल्य:** निष्पक्षता और न्याय (चुनावों की) बनाम अस्पष्टता और गोपनीयता (संशोधन प्रक्रिया में)।
- **जवाबदेही और नैतिक तर्क:**
  - **प्रश्न:** एक संवैधानिक निकाय की नैतिक जिम्मेदारी क्या है जब उसकी प्रक्रियाओं का शोषण किया जाता है?
  - **उत्तर:** नैतिक रास्ता **सक्रिय जवाबदेही** है – तुरंत जांच करना, दोष का खुलासा करना और प्रणाली को ठीक करना, बजाय रक्षात्मक रवैया अपनाने के।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

3. बदलती जनसंख्या गतिशीलता सरकारों के लिए नीतिगत पुनः अभिविन्यास की मांग करती है

1. मूल जनसांख्यिकीय बदलाव

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट के हालिया आंकड़ों की पुष्टि करते हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसे जन्म दर में गिरावट और बुजुर्ग आबादी में वृद्धि से चिह्नित किया गया है।

2. प्रमुख आंकड़े (2023)

- **सकल जन्म दर (सीबीआर):** 18.4 तक गिर गई (2022 में 19.1 से कम)।
    - **सबसे अधिक:** बिहार (25.8)
    - **सबसे कम:** तमिलनाडु (12.0)
- **कुल प्रजनन दर (टीएफआर):** 1.9 तक गिर गई (प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे)।
    - **सबसे अधिक:** बिहार (2.8)
    - **सबसे कम:** दिल्ली (1.2)
    - **क्षेत्रीय विभाजन:** 18 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं। टीएफआर >2.1 वाले राज्य सभी उत्तर भारत में हैं (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़)।
- **बुजुर्ग आबादी:** 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का अनुपात बढ़कर 9.7% हो गया।
    - **सबसे अधिक:** केरल (15%)
    - **सबसे कम:** असम, दिल्ली, झारखंड

3. निहितार्थ और आवश्यक कार्य

- **दीर्घकालिक प्रभाव:** सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, पूरा प्रभाव धीमा होगा, लेकिन बुजुर्ग आबादी की ओर रुझान स्पष्ट और अपरिहार्य है।
- **नीतिगत पुनः अभिविन्यास आवश्यक:** देश को अपने वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभांश (अपेक्षाकृत युवा कार्यबल) से अभी भी लाभान्वित होते हुए बड़ी बुजुर्ग आबादी वाले भविष्य की तैयारी शुरू करनी चाहिए।
- **बुजुर्ग आबादी के लिए प्रमुख आवश्यकताएं:** नीतियों को इन्हें संबोधित करने के लिए पुनः अभिविन्यस्त किया जाना चाहिए:
    - वित्तीय सुरक्षा
    - कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए सार्वभौमिक पहुंच
    - शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं
    - सामाजिक सहायता सेवाएं
- **निष्कर्ष:** "अधिक" लोगों की योजना बनाने से हटकर बढ़ती बुजुर्ग आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक "बड़े पैमाने पर वास्तविक संरेखण" की आवश्यकता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. भारत में एफडीआई (FDI) की कहानी में एक जटिल मोड़

1. ऐतिहासिक संदर्भ और हालिया बदलाव

- 1991 के सुधारों के बाद से एफडीआई भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजार एकीकरण में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है।
- हाल के रुझान एक "जटिल मोड़" दिखाते हैं: निवेश गुणवत्ता और उद्देश्य में गिरावट आ रही है, जो दीर्घकालिक विकास से हटकर अल्पकालिक लाभ की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।

2. प्रमुख रुझान और आंकड़े (अंतर)

- **सकल प्रवाह:** स्वस्थ लगते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गए।
- **शुद्ध प्रवाह (महत्वपूर्ण मुद्दा):** तेज गिरावट।
    - **महामारी के बाद (4 वर्ष):** सकल प्रवाह 308.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे, लेकिन विदेशी निवेशकों ने 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर वापस निकाले/प्रत्यावर्तित किए।
    - भारतीय कंपनियों के बाहरी एफडीआई के लिए समायोजित करने के बाद, भारत में शुद्ध बनाए रखी गई पूंजी घटकर चिंताजनक 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई।
- **बढ़ता बहिर्वाह:**
    - **विनिवेश/प्रत्यावर्तन:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में 51% बढ़कर 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रवाह का 63% से अधिक) हो गया।
    - **भारतीय एफडीआई बहिर्वाह:** 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2011-21) से बढ़कर 29.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2024-25) हो गया।

3. अंतर्निहित समस्याएं और कारण

- **निवेशक व्यवहार में बदलाव:** दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर कर पंचाट और राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अल्पकालिक लाभ की ओर।
- **क्षेत्रीय बदलाव:**
    - **विनिर्माण में गिरावट:** कुल एफडीआई में हिस्सेदारी घटकर मात्र 12% रह गई।
    - **रेंट-सीकिंग क्षेत्रों में वृद्धि:** वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा, आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में बढ़ता प्रवाह– जिनमें विनिर्माण के गुणक प्रभावों का अभाव है।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** नियामक अस्पष्टता, कानूनी अप्रत्याशितता, असंगत शासन और बुनियादी ढाँचे की कमियाँ दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
- **एफडीआई का स्रोत:** सिंगापुर और मॉरीशस जैसे वित्तीय केंद्रों का वर्चस्व बताता है कि पूंजी उत्पादक निवेश के बजाय कर रणनीतियों से प्रेरित है। पारंपरिक औद्योगिक एफडीआई स्रोतों (अमेरिका, जर्मनी, यूके) ने पीछे हटना शुरू कर दिया है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. परिणाम और जोखिम

- **सीमित विकास प्रभाव:** पूंजी पर्याप्त समय तक नहीं टिकती है कि स्थायी औद्योगिक या तकनीकी विकास में योगदान दे सके।
- **विकास में बाधा:** विनिर्माण, बुनियादी ढाँचे और नवाचार में निवेश की कमी भारत की विकास प्रक्षेपवक्र और रोजगार सृजन को नुकसान पहुँचाती है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक जोखिम:** घटते शुद्ध एफडीआई प्रवाह भुगतान संतुलन को खतरे में डालते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालते हैं और मौद्रिक नीति की लचीलापन कम करते हैं।
- **विश्वास का क्षरण:** यह पैटर्न विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों के बीच भारत की आर्थिक संभावनाओं में गहरे विश्वास की कमी को दर्शाता है।

5. सिफारिशें और निष्कर्ष

- **सुर्खियों से परे देखें:** केवल सकल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि पूंजी प्रवाह की गुणवत्ता, स्थायित्व और रणनीतिक संरेखण पर ध्यान दें।
- **नीतिगत सुधारों की आवश्यकता:**
    - नियमों को सरल बनाएं और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करें।
    - बुनियादी ढाँचे और मानव पूंजी में निवेश करें।
    - संस्थानों में नवीनीकृत विश्वास का निर्माण करें।
- **रणनीतिक लक्ष्य:** उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में प्रतिबद्ध, दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करें ताकि घरेलू क्षमता का निर्माण हो सके।
- भारत एक चौराहे पर खड़ा है और इन प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करके ही एक वास्तविक वैश्विक निवेश केंद्र बन सकता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उपयोग कैसे करें

1. जीएस पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटान, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

यह विषय का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटान, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:**
    - **निवेश मॉडल:** यह लेख एफडीआई मॉडल का एक समालोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। आप इसका उपयोग यह तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि भारत को **किसी भी एफडीआई** की तलाश करने के बजाय **गुणवत्तापूर्ण एफडीआई** की तलाश करने की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक, विनिर्माण में हो और जिसके उच्च गुणक प्रभाव हों।

- **विकास बनाम विकास:** डेटा **सकल आंकड़ों** (जो अच्छे लगते हैं) और **शुद्ध आंकड़ों** (जो चिंताजनक वास्तविकता को प्रकट करते हैं) के बीच के अंतर को पूरी तरह से दर्शाता है। यह किसी भी आर्थिक उत्तर के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है।
- **रोजगार:** विनिर्माण एफडीआई में गिरावट **रोजगारविहीन विकास** की समस्या से सीधे जुड़ी है, क्योंकि रेंट-सीकिंग क्षेत्र (जैसे वित्तीय सेवाएं) विनिर्माण की तुलना में कम रोजगार सृजित करते हैं।

- **अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव:**
  - यह एक उत्तर-उदारीकरण की कहानी है। आप इसका उपयोग 1991 के सुधारों के परिणामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं। हालाँकि एफडीआई शुरू में एक सफलता थी, लेकिन वर्तमान रुझान इसके **घटते रिटर्न और नई चुनौतियों**को दर्शाते हैं, जो **"दूसरी पीढ़ी के सुधारों"** की मांग करते हैं।
- **सरकारी बजट और राजकोषीय नीति:**
  - घटते शुद्ध एफडीआई के **मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभाव** होते हैं। यह **चालू खाता घाटा (CAD)** को प्रभावित करता है और **विदेशी मुद्रा भंडार** पर दबाव डालता है। यह सरकार को कठोर राजकोषीय विकल्प बनाने या **RBI की मौद्रिक नीति की लचीलापन** सीमित करने के लिए मजबूर कर सकता है।
- **बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि:**
  - उद्धृत **"बुनियादी ढाँचे की कमियाँ"** दीर्घकालिक विनिर्माण एफडीआई की कमी का एक प्रमुख कारण हैं। इसका उपयोग निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए **बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने** की वकालत करने के लिए किया जा सकता है।

2. जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप और उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे:**
  - **"नियामक अस्पष्टता"** और **"कानूनी अप्रत्याशितता"** शासन की सीधी आलोचना हैं। इसका उपयोग निवेश आकर्षित करने के लिए **नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** के महत्व पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।
  - सिंगापुर और मॉरीशस का वर्चस्व **राउंड-ट्रिपिंग** और **कर परिहार** के मुद्दों को उजागर करता है, जो **मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों**और **घरेलू कर प्रवर्तन** की आवश्यकता से जुड़ा है।

5. निकोबार में एक पारिस्थितिक तबाही की रचना

1. मुख्य तर्क

ग्रेट निकोबार मेगा-बुनियादी ढाँचा परियोजना (लागत: ₹72,000 करोड़) एक "गंभीर दुस्साहस" और "योजनाबद्ध दुस्साहस" है जो:

- स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है।
- वैश्विक स्तर पर अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती है।
- कानूनी और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक बनाती है।
- प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

2. स्वदेशी आदिवासी समुदायों पर प्रभाव

- **निकोबारी जनजाति:** उनके पैतृक गाँव परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे 2004 की सुनामी द्वारा विस्थापित किए गए थे और यह परियोजना उनकी वापसी को स्थायी रूप से रोकेगी, उस सपने को समाप्त कर देगी।
- **शोम्पेन जनजाति (PVTG):** परियोजना उनके आदिवासी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट कर देगी, उनके वन पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी और बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवाह cause करेगी। यह उन्हें उनकी पैतृक भूमियों से काट देगी और उनके सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को खतरे में डालेगी।

3. कानूनी और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन

- **संवैधानिक निकायों को दरकिनार करना:** सरकार ने अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338A के तहत आवश्यक) से परामर्श करने में विफल रही।
- **स्थानीय परिषदों की अनदेखी:** ग्रेट निकोबार की आदिवासी परिषद की निकोबारियों को उनके गाँवों में लौटने की अनुमति देने की याचिका को नजरअंदाज कर दिया गया। एक "कोई आपत्ति नहीं पत्र" जल्दबाजी में लिया गया और बाद में परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया।
- **दोषपूर्ण सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA):** भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किए गए SIA में निकोबारी और शोम्पेन को हितधारकों के रूप में पूरी तरह से छोड़ दिया गया।
- **वन अधिकार अधिनियम (2006) का उल्लंघन:** यह अधिनियम शोम्पेन को उनके वनों के प्रबंधन का अधिकार देता है। इस परियोजना पर उनसे परामर्श नहीं किया गया।

MENTOR IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. पर्यावरणीय और पारिस्थितिक तबाही

- **वनों की कटाई:** परियोजना के लिए द्वीप की लगभग 15% भूमि पर पेड़ों को काटने की आवश्यकता है।
    - **सरकारी अनुमान:** 8.5 लाख पेड़।
    - **स्वतंत्र अनुमान:** 32 से 58 लाख पेड़।

- **दोषपूर्ण क्षतिपूर्ति:** हरियाणा में compensatory afforestation की योजना पारिस्थितिक रूप से बेमेल और अप्रभावी है। हरियाणा में निर्धारित भूमि का एक चौथाई हिस्सा पहले ही खनन के लिए नीलाम किया जा चुका है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) उल्लंघन:** बंदरगाह स्थल CRZ-IA के अंतर्गत आता है (एक संरक्षित श्रेणी जहाँ कछुओं के घोंसले के स्थान और प्रवाल भित्तियाँ हैं जहाँ निर्माण वर्जित है)। एक उच्च-शक्ति समिति (HPC) ने वर्गीकरण में हेराफेरी की, और इसकी रिपोर्ट अभी भी गुप्त बनी हुई है।
- **वन्यजीवों के लिए खतरा:** परियोजना निकोबार लॉन्ग-टेल्ड मकाक जैसी प्रजातियों के लिए खतरा है। जैव विविधता आकलन गंभीर रूप से दोषपूर्ण हैं (उदाहरण के लिए, off-season में कछुओं के घोंसले का आकलन करना, ड्रोगोंग की गिनती के लिए सीमित क्षमता वाले ड्रोन का उपयोग करना)। संस्थानों पर alleged तौर पर इन आकलनों को conduct करने के लिए दबाव डाला गया।

5. भू-स्थानिक और भूकंपीय जोखिम

- परियोजना एक भूकंपीय रूप से संवेदनशील और भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित है।
- 2004 की सुनामी के कारण लगभग 15 फीट की स्थायी भूमि धंसाव हुआ था।
- जुलाई 2025 में एक recent भूकंप हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है। इतनी बड़ी परियोजना को यहाँ locate करना जानबूझकर सब कुछ खतरे में डालना है।

6. निष्कर्ष और कार्रवाई का आह्वान

यह परियोजना राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात और न्याय का मजाक है। हमारे सामूहिक conscience को चुप नहीं रहना चाहिए जब:

- कमजोर जनजातियों का अस्तित्व दांव पर लगा हो।
- भावी पीढ़ियों के लिए एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बड़े पैमाने पर विनाश का सामना कर रहा हो।

इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उपयोग कैसे करें

1. जीएस पेपर III: पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन

यह विषय का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

- **संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण:**
    - **जैव विविधता की हानि:** यह परियोजना एक **जैव विविधता हॉटस्पॉट** के लिए खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है। वनों की कटाई (8.5 लाख से 58 लाख पेड़) और प्रवाल भित्तियों तथा कछुओं के घोंसले के स्थानों के विनाश का उपयोग विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।

- **दोषपूर्ण ईआईए प्रक्रिया:** लेख **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** में गंभीर कमियों को उजागर करता है - off-season में कछुओं का आकलन, दबाव में किए गए संस्थान, undisclosed HPC रिपोर्ट। यह EIA सुधारों, पारदर्शिता की आवश्यकता और स्वतंत्र निगरानी पर प्रश्नों के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है।
- **क्षतिपूर्ति वनीकरण:** हरियाण में वनीकरण की योजना **कैम्पा (CAMPA)** की आलोचना का एक सटीक उदाहरण है। यह एक द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान की भरपाई main land के जंगल से करने की पारिस्थितिक बेतुकापन दिखाता है।

- **आपदा और आपदा प्रबंधन:**
  - यह स्थान **सिस्मिक जोन V** (बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र) में है और हाल ही में सुनामी (2004) और भूकंप (2025) का अनुभव किया है। यहाँ एक मेगा-प्रोजेक्ट का निर्माण **आपदा तैयारी** और **स्मार्ट शहरी नियोजन** सिद्धांतों का flagrant उल्लंघन है। इसका उपयोग सभी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए **mandatory disaster vulnerability assessments** की वकालत करने के लिए किया जा सकता है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंधित मुद्दे:**
  - यह परियोजना **ऊपर से नीचे (top-down), मेगा-प्रोजेक्ट-आधारित विकास मॉडल** का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उपयोग इस मॉडल की आलोचना करने और एक अधिक **सतत, विकेंद्रीकृत और समावेशी मॉडल** की वकालत करने के लिए किया जा सकता है जो पारिस्थितिक और सामाजिक क्षमता का सम्मान करता है।

2. जीएस पेपर II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय

- **कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ:**
  - **शोम्पेन (PVTG - विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह)** और **निकोबारी** के साथ व्यवहार सुरक्षात्मक शासन की विफलता का एक गंभीर मामला है।
  - इसका उपयोग कार्यान्वयन अंतरालों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है:
    - **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** यह अधिनियम वन-निवासी समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर अधिकार देता है। शोम्पेन से परामर्श न करना एक direct उल्लंघन है।
    - **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम:** ऊपर के समान।
    - **PVTG का संरक्षण:** परियोजना सीधे तौर पर एक PVTG के अस्तित्व को खतरे में डालती है, जो उनके संरक्षण के लिए बनी विशेषीकृत नीतियों की विफलता को highlight करती है।
- **इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय:**

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS OUR COMMITMENT"

- **अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग (NCST)** को दरकिनार करना एक बड़ी institutional failure है। इसका उपयोग संवैधानिक निकायों के महत्व और उनके जनादेश की अनदेखी के परिणामों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।

- **सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:**
  - यह "planned misadventure" दर्शाती है कि कैसे सरकारी नीतियाँ, अच्छे इरादों के बावजूद, पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण हो सकती हैं यदि उन्हें वास्तविक परामर्श और कानूनों का पालन किए बिना लागू किया जाता है।

3. जीएस पेपर IV: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति

- **शासन में नैतिकता:**
  - यह मामला कई नैतिक दुविधाएँ प्रस्तुत करता है:
    - **विकास बनाम संरक्षण:** भावी पीढ़ियों के प्रति सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनाम वर्तमान आर्थिक लक्ष्य क्या है?
    - **बहुमतवाद बनाम अल्पसंख्यक अधिकार:** क्या कुछ हज़ार आदिवासियों के अधिकारों और घरों को उस परियोजना के लिए बलिदान करना नैतिक है जो कहीं और लाखों लोगों को लाभ पहुँचा सकती है?
  - **टकराव में मूल्य:** परियोजना **पारदर्शिता** (undisclosed रिपोर्ट), **जवाबदेही** (NCST की अनदेखी), **करुणा** (सुनामी बचे लोगों के प्रति) और **न्याय** (आदिवासी समुदायों के लिए) का उल्लंघन करती है।

6. एक पतली केसरिया रेखा पर चलना

संदर्भ

- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)**, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- इसके छठे प्रमुख (**सरसंघचालक**) **मोहन भागवत** परंपरा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए RSS की छवि को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **बहस**: क्या RSS अपने हिंदू-केंद्रित विचारधारा को बनाए रखते हुए एक बहुलवादी और लोकतांत्रिक भारत के अनुकूल ढल सकता है?

मुख्य विषय

1. **RSS का विकास**
   - प्रारंभ में गोपनीय और कठोर रहा RSS, अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ अपने संबंधों के माध्यम से मुख्यधारा में आ गया है।
   - राज्य सत्ता से बाहर रहने वाला संगठन → अब शासन में गहराई से स्थापित।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

2. **भागवत की दृष्टि**
    - **समावेशिता** का आह्वान: यह स्वीकार करना कि मुसलमान और ईसाई भारत के भविष्य का हिस्सा हैं।
    - साझा संस्कृति और इतिहास के माध्यम से **एकता** पर जोर।
    - हालाँकि, भारतीय पहचान की जड़ के रूप में **हिंदू सभ्यता** को सर्वोपरि मानते हैं।
3. **विरोधाभास**
    - **समावेशिता बनाम बहिष्कारवाद**: अल्पसंख्यकों तक पहुँच बनाने के बावजूद, RSS उन्हें अलगाववादी प्रवृत्तियों से प्रभावित मानता है।
    - **सांस्कृतिक बहुलवाद बनाम हिंदू एकता परियोजना**: हिंदू समुदाय के भीतर विविधता चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यकों से "हिंदू सभ्यता" में एकीकृत होने की मांग करता है।
4. **अल्पसंख्यक प्रश्न**
    - RSS का दावा है कि हिंदुओं में आत्मविश्वास की कमी है, जबकि अल्पसंख्यक संदेहास्पद बने हुए हैं।
    - अयोध्या, काशी, मथुरा मंदिरों पर चल रहे विवाद सांप्रदायिक तनावों को highlight करते हैं।
5. **आलोचना**
    - समावेशिता की **सच्चाई** पर संदेह।
    - इसे विचारधारात्मक बदलाव के बजाय एक **राजनीतिक रणनीति** के रूप में देखा जाता है।
    - अभी भी समान बहुलवाद के बजाय **हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद** को प्राथमिकता देता है।

यूपीएससी के लिए मुख्य बिंदु

जीएस पेपर 1 (समाजशास्त्र) के लिए:

- भारत में सांप्रदायिक संबंधों को दर्शाता है: **विश्वास की कमी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और अल्पसंख्यक एकीकरण**।
- सामाजिक पहचान को आकार देने में **नागरिक समाज की भूमिका** (RSS एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में) को दिखाता है।

जीएस पेपर 2 (राजव्यवस्था) के लिए:

- **राज्य-नागरिक समाज संबंधों** का मुद्दा उठाता है: BJP के माध्यम से शासन पर RSS का प्रभाव।
- भारतीय लोकतंत्र में **धर्मनिरपेक्षता बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद** पर बहस।

समाजशास्त्र (वैकल्पिक) के लिए:

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **एथ्नो-राष्ट्रवाद** का उदाहरण: RSS द्वारा हिंदू सांस्कृतिक पहचान पर जोर।
- **पहचान की राजनीति** को दर्शाता है: अल्पसंख्यकों का समावेश/बहिष्कार।
- **पार्सन्स के पैटर्न चर** से संबंध: सार्वभौमिकता बनाम विशेषवाद (universalism vs. particularism)।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"